

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला अजमेर

क्रमांक - सीडर/20/ 19

दिनांक 14-8-2020

-: आदेश :-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक राजस्व(ग्रुप-6) विभाग जयपुर के परिपत्र पत्रांक प.3 राज-6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अनुसार चालू स्थाई रास्तों के राजस्व अभिलेख में अंकन की कार्यवाही की जानी है।

उक्त रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131,132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 53,59,60,66 एवं 86 के अनुसार तहसीलदार मसूदा द्वारा प्राप्त प्रस्ताव व अनुशंषा अनुसार भूमि नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में गै.मु. रास्ता एवं नक्शे में लाल स्याही से अंकन करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार मसूदा उक्त आदेश के अनुसार पालना सुनिश्चित कर 15 दिवस में मय रेकार्ड की प्रति सहित पालना प्रेषित करे।

पटवार मण्डल :- कानाखेड़ा

तहसील :- मसूदा

वर्तमान जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टि							नवीन(रास्ता हेतु) प्रविष्टि		
क्र. सं.	पोर्टल क्रमांक	तहसीलदार के पत्रांक मय दिनांक	ग्राम का नाम	खसरा न.	कुल रकबा	किस्म जमीन	खसरा न.	रकबा	किस्म जमीन
1	2020/00216	4025 07.08.2020	कानाखेड़ा	3470/2163	51.7032 है.	गै.मु.	3470/2163/3	0.6870 है.	गै.मु. रास्ता
2	2020/00217	4026 07.08.2020	कानाखेड़ा	3470/2163	51.7032 है.	गै.मु.	3470/2163/2	0.8342 है.	गै.मु. रास्ता
3	2020/00218	4027 07.08.2020	कानाखेड़ा	3470/2163	51.7032 है.	गै.मु.	3470/2163/1	0.8528 है.	गै.मु. रास्ता
4	2020/00219	4028 07.08.2020	कानाखेड़ा	311	0.1456 है.	दांती	311	0.1456 है.	गै.मु. रास्ता
5	2020/00220	4023 07.08.2020	खेताखेड़ा	116	0.2427 है.	दांती	116	0.2427 है.	गै.मु. रास्ता
6	2020/00221	4024 07.08.2020	खेताखेड़ा	58	0.4530 है.	दांती	58/1	0.1012 है.	गै.मु. रास्ता
7	2020/00221	4024 07.08.2020	खेताखेड़ा	64	0.0324 है.	दांती	64	0.0324 है.	गै.मु. रास्ता
8	2020/00221	4024 07.08.2020	खेताखेड़ा	66	0.2103 है.	दांती	66	0.2103 है.	गै.मु. रास्ता
9	2020/00222	4029 07.08.2020	केसरपुरा	820	14.5054 है.	दांती	820/1	0.6379 है.	गै.मु. रास्ता
10	2020/00223	4030 07.08.2020	केसरपुरा	541	4.8702 है.	दांती	541/1	0.1963 है.	गै.मु. रास्ता

नोट:- अवशेष इन्द्राज यथावत रहेंगे।

(मोहनलाल खटनावलिया)
(मंडल उपखण्ड अधिकारी)
(एस.डी.एम.) मसूदा (अजमेर)
मसूदा (अजमेर) राज.

